

## तेरहवीं अनुसूची

(धारा 75 देखिए)

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में,—

(क) शीर्ष 1701 और सभी उपशीर्षों तथा उसकी टैरिफ मदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

5 (ख) टैरिफ मद 1702 90 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) शीर्ष 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5212, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5801, 5802, 5803, 5804, 5806, 5810, 5901, 5902, 5903, 5907, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 तथा 6006 और सभी उपशीर्षों तथा उसकी टैरिफ मदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।